अरूणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग व अन्य

बनाम

तागे हाबुंग और अन्य

सिविल अपील सं. 2013 का 4168

1 मई 2013

[पी. सदाशिवम और एम. वाई. इकबाल]

अरूणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2001 निर्णय: नियम 11 को 12 के साथ पढ़ें। विज्ञापन के बाद न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करना तय करना - माना गयाः नियम आयोग को न्यूनतम योग्यता अंक तय करने और उसका खुलासा करने का आदेश नहीं देता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अर्हक अंक या तो विज्ञापन में या परीक्षा आयोजित करने से पहले दो परीक्षाओं के बाद, आयोग को उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और उन्हें बुलाने का अधिकार है व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों के लिए एक साक्षात्कार के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में अहर्क अंक तय करने की धारा 11 के तहत आयोग द्वारा प्रयोग की गई शक्ति में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं

किया जा सकता है। हालाँकि, नियम ये अधिकार नहीं देता है आयोग मुख्य परीक्षा में अर्हक अंक तय नहीं करेगा, जो उसने सही नहीं किया है। अपीलकर्ता राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के तहत विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 25-7-2006 को एक विज्ञापन जारी किया गया।मुख्य परीक्षा पूरी होने से पहले, राज्य ने ओ-एम दिनांक 7-1-2008 में प्रत्येक लिखित परीक्षा में सभी विषयों के लिए 33 प्रतिशत या उससे अधिक अंक घोषित किया गया। आयोग ने अपने द्वारा ओएम को अपनाया अधिसूचना दिनांक 16-4-2008 उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि ओएम दिनांक 7-1-2008 और दिनांक 16-4-2008 की अधिसूचना को चयन प्रक्रिया जारी रहने के बीच में लागू नहीं किया जा सकता, विज्ञापन दिनांक 25-7-2006 के अनुसार शुरू की गई थी

आयोग द्वारा दायर तत्काल अपील में, न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न ये थाः क्याभर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, अपीलकर्ताओं मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत योग्यता तय करना उचित था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अवधारित किया-

1.1 अरुणाचल प्रदेश के लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियमए 2001 के नियम 11 के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि आयोग अपने विवेक से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह आयोग को साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्येश्य से न्यनूतम योग्यता अंक तय करने का अधिकार देता है। नियम आयोग को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने और विज्ञापन में या परीक्षा आयोजित करने से पहले प्रकट करने का आदेश नहीं देता है। दो परीक्षाओं के बाद, आयोग को उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और उन्हें व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकार है। हालांकि, नियम आयोग को मौखिक परीक्षा में अर्हक अंक तय करने का अधिकार नहीं देता, जो कि आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। आर 12 के अनुसार साक्षात्कार के बाद आयोग द्वारा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों से प्रकट योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। पैरा14 और 291148 एफ एच, 1149&ए&बी, 1159&एफ&जी

1.2 अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि चयन की प्रक्रिया

शुरू होने के बाद मौखिक परीक्षा में अर्हता अंक तय करना उचित नहीं हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किसी उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार के कुछ मानदण्ड तय करना आवश्यक है। पैरा 28,1159 & ए.ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक एवं अन्य 1983 (2) एससीआर 598 = एआईआर 1983 एससी 1143; के.एच. सिराज बनाम हाई कोर्ट केरा/ए एवं अन्य, 2006 (2) पूरक। एससीआर 790 =(2006) 6 एससीसी 395; हेमानी मल्होत्रा आदि बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, 2008 (5) एससीआर 1066 = (2008) 7 एससीसी 11; और भारत संघ एवं अन्य बनाम डी एस विनोद कुमार एवं अन्य, 2007 (10) एससीआर 41 = (2007) 8 एससीसी 100 - संदर्भित। सुशी/कुमार घोष बनाम असम राज्य एवं अन्य 1993 11) जीएलआर 315 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.3 लिखित परीक्षा में अर्हता अंक 33 प्रतिशत निर्धारित करने को आयोग की अवैध या मनमानी कार्यवाही नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि इसे भर्ती परीक्षा में अधिसूचित किया गया था। अपीलकर्ता आयोग की ओर से यह कहा गया था कि उसने अतीत में आर के तहत शक्ति के प्रयोग में कटऑफ अंक तय करते हुए लिखित परीक्षा आयोजित

की थी। 2001 के नियत 11 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि 30-09-2008 के अपने आदेश में एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, ओएम में अधिसूचित योग्यता अंकों को लागू करते हुए परिणाम घोषित किया गया था। दिनांक 07-01-2008 और उसे आयोग द्वारा अपनाया गया। पैरा 29,1160&ए&सी

1-4 न्यायालय की सुविचारित राय में आयोग द्वारा 2001 के नियमों के नियम 11 के तहत लिखित परीक्षा में अर्हक अंक तय करने की शक्ति का प्रयोग किया गया है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह दोहराया जाता है कि लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्येश्य से आयोग द्वारा कुछ मानदण्डों का पालन किया जाना चाहिए। पैरा 29, 1159&जी&एच, 1160&ए

1-5 यद्यपि यह वांछनीय है कि आयोग प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करे लेकिन मौजूदा मामले में योग्यता अंक सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवारों की भर्ती में आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। पैरा 30,1160&डी प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, 2004 (1)आपूर्ति. एससीआर

453 = 2004 (6) एससीसी 786 -संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1983 (2) एससीआर 598 में संदर्भित पैरा 5

1993 11) जीएलआर 315 में अनुपयुक्त ठहराया गया पैरा 20

2006 (2) पूरक। एससीआर 790 में संदर्भित किया गया है पैरा 24

2008 (5) एससीआर 1066 को संदर्भित करता है पैरा 25

2004 (1) पूरक। एससीआर 453 में संदर्भित किया गया है पैरा 26

2007 (10) एससीआर 41 को संदर्भित करता है पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 4168/2013

2008 की डब्ल्यूपीसी संख्या 4902 में गुवाहाटी, असम के उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 07-01-2009 से।

उपस्थित पार्टियों के लिए गिन्नी जे- राउट्रे, कंचन कौर धोड़ी, चेतना भारद्वाज, अविजीत भट्टाचार्जी, सरबानी कर, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास।

न्यायालय ने निर्णय सुनाया

2- यह अपील माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा 19 नवंबर, 2008 के आदेश के अनुसार किए गए संदर्भ पर गौहाटी उच्च न्यायालय की एक

खंडपीठ द्वारा पारित 7 जनवरी, 2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। एकल न्यायाधीश को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2008 को जारी कार्यालय ज्ञापन और 16 अप्रैल, 2008 को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाया गया था, जिसमें 33 या उससे अधिक के कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। ग्रेड-ए और ग्रेड ch में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मुख्य 2006&07 संक्षेप में, मुख्य परीक्षा में प्रत्येक लिखित परीक्षा पत्र में सुरक्षित होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत ग्रेड बी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्वीकार्य है और यह उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसी भर्ती के लिए 25 जुलाई, 2006 के विज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई मुख्य परीक्षा पहले ही दे दी है।

3- मामले के तथ्य यह हैं कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग संक्षेप में, आयोग ने 25 जुलाई, 2006 को एक विज्ञापन जारी कर अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2006 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत ग्रुप

ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए 2006&07 आयोग द्वारा 13 जून, 2007 को एक निर्णय लिया गया था जिसमें पदों पर भर्ती के लिए प्रत्येक लिखित परीक्षा में अर्हक अंक के रूप में अंग्रेजी में 40 या आयोग द्वारा तय किए गए न्यूनतम कट ऑफ अंक तय किए गए थे और इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी। 2 जुलाई, 2007 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा 26 दिसंबर, 2007 को शुरू हुई और आयोग ने 11 जुलाई, 2008 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से उन उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्होंने 40 अंक हासिल करके सामान्य अंग्रेजी में अर्हता प्राप्त की थी। हालाँकि, मुख्य परीक्षा के पूरा होने से पहले, राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन संक्षेप में, ओएम जारी किया गया था, जिसमें सभी विषयों के लिए प्रत्येक लिखित परीक्षा कट ऑफ अंक 33 या उससे अधिक घोषित किया गया था।

4- अयोग्य उम्मीदवारों ने 25 जुलाई, 2008 को डब्ल्यूपी संख्या 271 एपी 2008 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आयोग के 13 जून, 2007 के फैसले और 11 जुलाई, 2008 की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी। 40 अंक प्राप्त करके सामान्य अंग्रेजी में उत्तीर्ण। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल

न्यायाधीश ने 30 सितंबर, 2008 के आदेश के तहत रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की शक्ति सभी विषयों पेपरों के संबंध में है और कोई शक्ति नहीं है। किसी विशेष विषय पेपर के संबंध में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने के लिए आयोग को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2001 के नियम 11 के प्रावधान के तहत दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आयोग मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों विषयों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन उपरोक्त में परिलक्षित नीतिगत निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटऑफ अंकों के आधार पर करेगा। ओएम और सभी पेपरों विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर, उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करेगा। आवाज परीक्षण आदेश के पैरा 12 में विद्वान न्यायाधीश ने कहा

आयोग द्वारा 13-06-2007 को, यानी 02-02-2007 को प्रारंभिक

परीक्षा आयोजित करने की तारीख से लगभग 4 चार महीने बाद, निर्णय लिया गया था और प्रतिवादी आयोग ने दावा किया कि उसके पास प्रावधान के तहत ऐसा करने की शक्ति है। 2001 के नियमों का नियम 11। उपरोक्त नियमों का नियम 11 नीचे उद्धृत किया गया है

जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। उनके विवेक पर उन्हें व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। नियम में यह माना गया है कि आयोग को प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करना होगा और जो उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्त नियम के तहत आयोग को मुख्य लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की भी आवश्यकता है और ऐसे अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों मौखिक&स्वर परीक्षण के लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की

शक्ति सभी विषयों पेपरों के संबंध में है। उपरोक्त नियम के प्रावधान के तहत आयोग को किसी विशेष विषय पेपर के संबंध में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। यह नियम इस बात पर विचार करता है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने से पहले आयोग को न्यूनतम योग्यता अंक तय करना आवश्यक है। इस मामले में, आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने के बाद निर्णय लिया, जो कि उक्त नियम के तहत बिल्कुल भी विचार योग्य नहीं है। मेरे सुविचारित विचार में, आयोग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने के बाद यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के लंबे समय बाद विवादित निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। यह महत्वहीन है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित याचिकाकर्ताओं को आयोग के उस निर्णय के बारे में पूरी तरह से जानकारी है या नहीं, जिसमें उम्मीदवारों को सामान्य अंग्रेजी के पेपर में न्यूनतम 40 अंक सुरक्षित करने की आवश्यकता है, आयोग द्वारा एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता कानून के तहत मान्य नहीं है क्योंकि आयोग ने उस फैसले को लागू करने की मांग की जो नियमों के तहत अधिकृत नहीं है।

5- इस स्तर पर, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आयोग

द्वारा प्रकाशित 19 दिसंबर, 2006 के विज्ञापन के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में एक और रिट याचिका, 2008 की डब्ल्यूपी संख्या 101, दायर की गई थी। अभ्यर्थी जून 2007 में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए। हालाँकि, लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले, सरकार ने 7 जनवरी, 2008 को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे। मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए परीक्षा और कुल मिलाकर 45 अंक। चूंकि याचिकाकर्ता अंग्रेजी विषय में 33 अंक हासिल करने में असफल रहे, इसलिए उन्हें मौखिक साक्षात्कार के लिए नहीं चुना गया। याचिकाकर्ताओं के वकील का मुख्य तर्क यह था कि चयन मानदंड को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने एए कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक एवं अन्य, एआईआर 1983 एससी 1143 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या 7 जनवरी, 2008 का ओएम बिल्कुल भी लागू हो सकता है। लागू हो जाए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 जून, 2008 के आदेश द्वारा कहा कि

9- जैसा भी हो, स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि संशोधन हमेशा

संभावित होता है। इस स्थापित कानूनी स्थिति के आधार पर, मेरा मानना है कि दिनांक 07-01-2008 के ओएम के तहत विकसित अतिरिक्त मानदंड वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाने के लिए लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि वे अन्यथा दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार साक्षात्कार के लिए पात्र हों। विज्ञापन की तिथि अर्थात 19-12-2006 को प्रचलित चयन की।

10- परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। विशेष रूप से उत्तरदाताओं, प्रतिवादी नंबर 2, सचिव, एपीपीएससी को निर्देशित किया जाता है कि वे चयन के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ताओं के परिणाम घोषित करें जो 19-12-2006 को या उससे पहले लागू थे और यदि वे मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए।

6- हालाँकि, 2008 के संख्या 271 में पारित न्यायालय के आदेश दिनांक 30 सितंबर, 2008 के अनुपालन में, आयोग ने अधिसूचना दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से उन उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की, जिन्होंने प्रत्येक लिखित परीक्षा पेपर में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त किए थे और जिसने लिखित परीक्षा के पेपर में कुल अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए

थे।इसके बाद, उत्तरदाताओं ने 7 जनवरी, 2008 के ओएम को चुनौती देते हुए 2008 की संख्या 417$2008 की रिट याचिका सी संख्या 4902 के रूप में प्रिंसिपल सीट पर पुनः क्रमांकित के तहत एक रिट याचिका दायर की। इस बीच, आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली और 17 जनवरी, 2009 की अधिसूचना के तहत मौखिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिसके अनुसार पदों के लिए 100 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

7- 2008 के उपर्युक्त डब्ल्यूपी नंबर 417 में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने 7 जनवरी, 2008 के ओएम को इस आधार पर चुनौती दी कि मौखिक परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में 33 सुरक्षित करने की शर्त है। परीक्षण ने साक्षात्कार में परीक्षण किए जाने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह था कि जबकि 25 जुलाई, 2006 के संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विज्ञापन में कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही नियम में कोई प्रतिबंध था, तो 7 जनवरी, 2008 के ओएम द्वारा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका 2008 की डब्लूपी संख्या 417 पर सुनवाई करते हुए महसूस किया कि उठाए गए मुद्दे को पहले की दो रिट

याचिकाओं 2008 की डब्लूपी संख्या 101 और 2008 की डब्लूपी संख्या 271 में समन्वय पीठों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी विचारों को निर्धारित करने के बाद ही हल किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश से मामले को डिवीजन बेंच को भेजने का अनुरोध किया। तदनुसार, मामला डिवीजन बेंच को भेजा गया था।

8- डिवीजन बेंच ने सवाल तैयार किया कि क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2008 को जारी कार्यालय ज्ञापन और 16 अप्रैल, 2008 को लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाया गया था, जिसमें 33 या उससे अधिक के कट&ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत ग्रेड-ए और ग्रेड-बी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित अरुणाचल प्रदेश सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मुख्य 2006&07 में प्रत्येक लिखित परीक्षा पेपर में सुरक्षित होना, प्रारंभ होने के बाद अनुमत है। भर्ती प्रक्रिया उन अभ्यर्थियों पर लागू होती है, जिन्होंने ऐसी भर्ती के लिए 25 जुलाई, 2006 के विज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई मुख्य परीक्षा पहले ही दे दी है। डिवीजन बेंच ने 7 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया

33- यहां ऊपर वर्णित पक्षों की ओर से दिए गए व्यापक तर्कों पर

सावधानीपूर्वक विचार करने से लेकर रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का भी गहनता से अध्ययन किया गया है। यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से दिनांक 07-01-2008 का आक्षेपित ओएम एपीपीएससी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था जैसा कि नियमों के नियम 11 के तहत आवश्यक है, लेकिन इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं जारी किया गया था और इसे केवल एपीपीएससी द्वारा अधिसूचना दिनांक 16-04-2008 के माध्यम से अपनाया गया है और वह भी पूरी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद।

34- आक्षेपित ओएम दिनांक 07-01-2008 और अधिसूचना दिनांक 16-04-2008 दोनों को पढ़ने और विचार करने के बाद, जो मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद प्रकाशित हुए थे और एए कैल्टन के मामले सुप्रा और सुशील कुमार में निर्धारित अनुपात को भी ध्यान में रखा गया था। घोष के मामले सुप्रा में हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिनांक 07-01-2008 के विवादित ओएम और उसके बाद दिनांक 16-04-2008 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाए गए चयन प्रक्रिया को जारी रखने के बीच में इसे लागू नहीं किया जा सकता है, जिसे विज्ञापन दिनांक 25-07-2006 अनुसार शुरू किया गया है।

35- इस प्रकार, हम 24-06-2008 को निपटाए गए 2008 के नंबर

101 में व्यक्त दृष्टिकोण के साथ&साथ में दर्ज दिनांक 30-09-2008 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 12 में व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। सी 2008 की संख्या 271 एपी हमारा मानना है कि दिनांक 07-01-2008 का आक्षेपित ओएम रिट याचिकाकर्ताओं के चयन के रास्ते में नहीं आएगा।

9- मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले, हम 25 जुलाई, 2006 के विज्ञापन, 2001 के नियम, 7 जनवरी, 2008 के ओएम और 16 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना का उल्लेख करना चाहेंगे।10- 25 जुलाई, 2006 के विज्ञापन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों@सेवाओं में भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2006&07 में प्रवेश के लिए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में आवश्यक मानदंड जैसे पात्रता अर्थात आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक, शारीरिक फिटनेस और अन्य आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं। निर्विवाद रूप से, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंकों का कोई उल्लेख नहीं है।

11- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुछ पदों@सेवाओं में

भर्ती को विनियमित करने के लिए नियम बनाए, अर्थात्, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2001। नियम 2ए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है अनुसूची&1 में उल्लिखित सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल हैं। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित उक्त नियमों का नियम 3 इस प्रकार है

3,1अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1995, अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा नियम, 1989, अरुणाचल प्रदेश श्रम सेवा नियम, 1991 और अनुसूची&1 में उल्लिखित सेवाओं और पदों से संबंधित किसी भी अन्य सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, आयोग अनुसूची&2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं में भर्ती के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए हर साल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा।

2 आयोग, मुख्य परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार करेगा और संबंधित सेवा नियमों के तहत विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए ऐसी सूची सरकार को अग्रेषित करेगा।

12- नियमों की अनुसूची&2 अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा

नियम, 2001 के तहत प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। नियम 11 और 12 जो प्रासंगिक हैं, यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं

11 जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, और जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।उनके विवेक पर उन्हें व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

बशर्ते कि एपीएसटी से संबंधित उम्मीदवारों को 10 तक कम अंकों के शिथिल मानक को लागू करके आयोग द्वारा ऊपर बताए अनुसार एक टेस्ट के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, यदि आयोग को यह पता चलता है कि इनमें से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार हैं। समुदायों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना नहीं है।

इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि यदि मानक में छूट के बावजूद एपीएसटी समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आयोग सामान्य मानक के कटऑफ अंक होने पर आयोग द्वारा

उचित समझी जाने वाली 55 या उससे अधिक सीमा तक छूट का प्रतिशत और भी अधिक बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।

यह भी प्रदान किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश सेवा के पद के लिए आवेदन करने वाले और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को परिशिष्ट&3 में निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण से गुजरना होगा।

12- साक्षात्कार के बाद आयोग द्वारा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार एक साथ में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों से प्रकट योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा और उसी क्रम में उतने उम्मीदवार होंगे परीक्षा में आयोग द्वारा योग्य पाए जाने पर रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा तय की गई संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

बशर्ते कि एपीएसटी से संबंधित उम्मीदवारों की सिफारिश सरकार के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। आदेश क्रमांक कार्यालय ज्ञापन &12,20 दिनांक 10/10/2000

13- दिनांक 7 जनवरी, 2008 का कार्यालय ज्ञापन, जो प्रासंगिक है, इस प्रकार है

अरुणाचल प्रदेश सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग।
प्रशासनिक सुधार

कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 54@2006 दिनांकः ईटानगर, 7 वां जनवरी, 2008

विषय& भर्ती परीक्षा के आधार पर मौखिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का चयन&तत्संबंधी प्रक्रिया।

सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारी अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण पेपरों की अनदेखी करके और एक समान पैटर्न का पालन किए बिना लिखित परीक्षा के एक या दो विषयों के आधार पर मौखिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्रति रिक्ति चयनित उम्मीदवारों का अनुपात अनुपात या कट&ऑफ अंकों के निर्धारण पर सामान्य अभ्यास बनाए रखे बिना एक परीक्षा से दूसरे में भिन्न होता है, यहां तक की उम्मीदवारों का चयन 1 2 3 के अनुपात में किया जाता है। यह मुद्दा प्रशासनिक सुधार विभाग की जांच के अधीन था और पाया गया कि ऐसी कोई प्रक्रिया पहले निर्धारित नहीं की गई थी और न ही संबंधित भर्ती नियमों में ऐसी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

मुद्दे की सावधानीपूर्वक जांच के बाद और दिनांक 28-08-2006 के ओएम के बिंदु संख्या 2 और 3 में संशोधन के बाद, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ग्रुप&ए, बी और सी नियुक्ति के लिए सभी सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन निम्नलिखित प्रक्रियाएं निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

1 मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा पत्रों के आधार पर 1;3 के अनुपात में किया जाएगा अर्थात प्रत्येक रिक्ति के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा या रिक्तियों की संख्या के 3 गुना। हालाँकि, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 गुना से कम होने पर 1%3 का अनुपात लागू नहीं होगा। यदि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 3 गुना से कम है, तो प्रत्येक लिखित परीक्षा के पेपर में 33 अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

2 प्रत्येक लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र में न्यूनतम 33 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले और लिखित परीक्षा प्रश्नपत्रों में कुल अंकों में से 45 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दूसरी ओर,

इसका मतलब यह होगा कि मौखिक परीक्षा के लिए चयन लिखित परीक्षा पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा और 1%3 के अनुपात के अधीन होगा। किसी भी लिखित परीक्षा पत्र में 33 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3 कट ऑफ अंक हासिल करने वाले अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, चयन समिति या आयोग कुछ हद तक ^अंकों की कटौती* को 45 तक कम कर सकता है।

इसलिए सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे समूह ए* बी* और सी* स्तर के पदों@सेवाओं पर नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।

Y.D. Thongehi सचिव एआर अरुणाचल प्रदेश सरकार**

14- अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2001 संक्षेप में, नियम** के नियम 11 के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि आयोग अपने विवेक से प्रारंभिक परीक्षा दोनों में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मुख्य लिखित परीक्षा। नियम आयोग को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने और विज्ञापन में या परीक्षा आयोजित करने से पहले प्रकट

करने का आदेश नहीं देता है। उपरोक्त दो परीक्षाओं के बाद, आयोग को उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और उन्हें व्यक्तित्व और अन्य परीक्षणों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकार है। हालाँकि, नियम आयोग को मौखिक परीक्षा में अर्हक अंक तय करने का अधिकार नहीं देता है, जो कि आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। नियम 12 के अनुसार, साक्षात्कार के बाद आयोग द्वारा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार एक साथ मिलाकर में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

15- दिनांक 7 जनवरी, 2008 के उपरोक्त ओएम के आधार पर, आयोग द्वारा उक्त ओएम को अपनाते हुए दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। दिनांक 16 अप्रैल, 2008 की उक्त अधिसूचना नीचे उद्धृत की गई है

अधिसूचना यह सभी इच्छुक उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि सरकार। अधिसूचना संख्या ओएम 24&2006 दिनांक 7 जनवरी, 2008 जिसके तहत किसी भी लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के मानदंड नीचे दिए गए हैं, को स्वीकार कर लिया गया है और इस आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भविष्य की परीक्षाओं के लिए लागू किया

जाता है, जिसमें पहले से ही आयोजित लिखित परीक्षाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

1- मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा पत्रों के आधार पर 1%3 के अनुपात में किया जाएगा अर्थात प्रत्येक रिक्ति के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा या रिक्तियों की संख्या के 3 तीन

हालाँकि, यदि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 गुना से कम है तो 1&3 का अनुपात लागू नहीं होगा। यदि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 तीन से कम है, तो प्रत्येक लिखित परीक्षा पेपर में 33 अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

2- प्रत्येक लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र में न्यूनतम 33 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले और लिखित परीक्षा प्रश्नपत्रों में कुल अंकों में से 45 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दूसरी ओर, इसका मतलब यह होगा कि मौखिक परीक्षा के लिए चयन लिखित परीक्षा पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा और 1%3 के अनुपात के

अधीन होगा। लिखित परीक्षा के किसी भी पेपर में 33 izfr'kr से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3- चयन समिति या आयोग कट ऑफ अंक हासिल करने वाले अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, कट ऑफ अंक को कुछ हद तक 45 कम कर सकता है।

16- इस बीच, जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज्य सरकार द्वारा जारी 7 जनवरी, 2008 के उपरोक्त ओएम को 2008 की रिट याचिका संख्या 101 में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि रिट याचिकाकर्ता जून 2007 में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिए दिनांक 19 दिसंबर, 2006 के विज्ञापन के अनुसरण में, लेकिन साक्षात्कार के लिए उनका चयन नहीं किया गया, क्योंकि वे 7 जनवरी, 2008 के उक्त ओएम में निर्धारित 33 प्रतिशत के अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर सके। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित निर्णय दिया 24 जून, 2008 ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि 7 जनवरी, 2008 के ओएम का संभावित प्रभाव होगा और यह 7 जनवरी, 2008 से पहले शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा।

17- 11 जुलाई, 2008 को आयोग ने मुख्य परीक्षा के समापन के बाद उन

उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्हें 40 अंक हासिल करके सामान्य अंग्रेजी के पेपर में योग्य पाया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने 40 izfr'kr अंक प्राप्त नहीं किए, उन्होंने 11 जुलाई, 2008 को घोषित परिणाम को चुनौती देते हुए 2008 की डब्लूपी संख्या 271 के तहत एक रिट याचिका दायर की और साथ ही आयोग द्वारा परीक्षा में शामिल होने के उद्देश्य से अंग्रेजी विषय में 40 अंक निर्धारित करने के निर्णय को भी चुनौती दी। मुख्य परीक्षा विद्वान एकल न्यायाधीश ने 13 सितंबर, 2008 के फैसले के संदर्भ में रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 13 जून, 2007 के फैसले को रद्द कर दिया और आयोग को कट&ऑफ के आधार पर मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित छूट अंक, जिसे बाद में आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल, 2008 द्वारा अपनाया गया।

18- उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, रिट याचिका संख्या 271 में दिए गए एकल न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार 7 जनवरी, 2008 के ओएम के आधार पर आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम 14 अक्टूबर, 2008 को घोषित किया गया था।

19- जिन अभ्यर्थियों ने 33 अंक भी हासिल नहीं किए और जिनके परिणाम प्रकाशित नहीं हुए, उन्होंने 2008 की रिट याचिका संख्या 417 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 7 जनवरी, 2008 के ओएम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अन्य बातों के साथ&साथ 33 अंक हासिल करने की शर्त है। मौखिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के उनके अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। 2008 के 101 और 2008 के 271 में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर उक्त रिट याचिका को अंततः इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए डिवीजन बेंच को भेजा गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, डिवीजन बेंच ने आक्षेपित आदेश में कैल्टन मामले सुप्रा में इस न्यायालय के फैसले और सुशील कुमार घोष बनाम असम राज्य और अन्य, 1993 जीएलआर 315 में अपने फैसले पर भरोसा किया और माना कि 7 जनवरी का आक्षेपित ओएम, 2008 और उसके बाद की अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल, 2008 के माध्यम से अपनाए जाने को 25 जुलाई, 2006 के विज्ञापन के अनुसार शुरू की गई चयन प्रक्रिया के बीच में लागू नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने परिणामस्वरूप माना कि 7 जनवरी का विवादित ओएम, 2008 रिट याचिकाकर्ताओं के रास्ते में नहीं

आएगा।

20- डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की सराहना करने से पहले, हम कैल्टन के मामले और सुशील कुमार घोष के मामले (सुप्रा) में तय किए गए अनुपात का उल्लेख करना चाहेंगे।

21- कैल्टन के मामले में, एक कॉलेज, जो एक अल्पसंख्यक संस्थान था, के प्रिंसिपल के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति की वैधता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नियुक्ति करने की निदेशक की शक्ति को इस कारण से छीन लिया गया था। यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में किया गया संशोधन इसके अलावा, निदेशक इस पद के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को नियुक्त नहीं कर सकता था क्योंकि उसके चयन को उप निदेशक ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि इस न्यायालय ने अपील को इस प्रकार खारिज कर दिया-

5- इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम को 1975 के यूपी अधिनियम 26 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 18 अगस्त 1975 को लागू हुआ और मामले में अधिनियम की धारा 16 एफ 4 के तहत नियुक्ति करने की निदेशक की शक्ति को छीन लिया गया। अल्पसंख्यक संस्थानों का हालाँकि, संशोधित अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं किया गया

है कि विचाराधीन संशोधन अधिनियम की धारा 16 एफ के तहत लंबित कार्यवाही पर लागू होगा। न ही हमें इसमें कोई ऐसा शब्द मिलता है जो आवश्यक इरादे से ऐसी लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेगा। अधिनियम की धारा 16&एफ के तहत चयन की प्रक्रिया किसी पद के लिए आवेदन मांगने के चरण से शुरू होकर उस तारीख तक होती है जिस दिन निदेशक धारा 16 एफ 4 के तहत चयन करने का हकदार हो जाता है जैसा कि तब था एक एकीकृत है। उस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में किसी न किसी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ अधिकार बनाए जाते हैं। धारा 16&एफ इसलिए, अधिनियम को केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि विधायिका मान्यता प्राप्त संवैधानिक सीमाओं के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून पारित कर सकती है। लेकिन यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी वैधानिक प्रावधान पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए ताकि मौजूदा अधिकार को कमजोर किया जा सके या छीन लिया जा सके, जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह निर्देश न दे कि इसका ऐसा पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि चयन के लिए कार्यवाही वर्ष 1973 में शुरू हुई थी और उप निदेशक द्वारा चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दो बार अस्वीकार करने के बाद

निदेशक ने उन योग्य उम्मीदवारों में से नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र हासिल कर लिया, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। प्रश्नाधीन रिक्ति अपीलकर्ता के कहने पर उसके द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने निदेशक को उस शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश दिया था। हालाँकि वर्तमान मामले में निदेशक ने उस शक्ति का प्रयोग 18 अगस्त, 1975 के बाद किया, जिस दिन संशोधन लागू हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा किया गया चयन अवैध था क्योंकि संशोधन कानून का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। 18 अगस्त, 1975 से पहले शुरू हुई कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी कार्यवाही को कानून के अनुसार जारी रखा जाना था क्योंकि यह उक्त कार्यवाही के प्रारंभ में थी। इसलिए, हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला कि वर्तमान मामले में यूपी अधिनियम 26 1975 द्वारा संशोधित कानून का पालन किया जाना चाहिए था।

22- सुशील कुमार घोष के मामले में, उच्च न्यायालय ने कैल्टन के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद यदि नियमों में संशोधन किया जाता है तो पात्रता मानदंड में संभावित परिवर्तन होता है, नियमों में संशोधन से चयन प्रभावित नहीं होगा और

नियुक्ति क्योंकि चयन प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो चुकी थी, उसे कानून के अनुसार पूरा किया जाना था क्योंकि यह चयन शुरू होने के समय थी।

23- उचित सम्मान के साथ, हमारी राय में कैल्टन के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किया गया अनुपात और सुशील कुमार घोष के मामले में दोहराया गया अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। सबसे पहले, हम इस मामले में लिए गए विचार से सहमत हैं कि आयोग द्वारा 13 जून, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से अंग्रेजी में कट&ऑफ अंक 40 तय करने का निर्णय, अर्हक अंक अनुचित और अनुचित था। हालाँकि, 13 जून, 2007 का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2008 को जारी किए गए बाद के ओएम और 16 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से आयोग द्वारा अपनाए जाने के कारण प्रभावी नहीं हुआ था। इसलिए, एकमात्र प्रश्न यह है कि विचार यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी विषयों में न्यूनतम 33 योग्यता अंक तय करना उचित था। निर्विवाद रूप से, मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई अलग योग्यता अंक निर्धारित नहीं किए गए थे।

24- केएच सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य, 2006 6

एससीसी 395 के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2001 की अपनी अधिसूचना द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। केरल न्यायिक सेवा कुछ उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं किए थे। उन्होंने उक्त चयन को इस आधार पर चुनौती दी कि केरल न्यायिक सेवा नियम, 1991 के नियम 7 ,1 के तहत मौखिक परीक्षा में कट&ऑफ अंक निर्धारित करने वाले विशिष्ट विधायी आदेश के अभाव में, अलग&अलग न्यूनतम कट&ऑफ अंक तय किए गए हैं। व्यापक लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आगे हटाने के लिए साक्षात्कार क़ानून का उल्लंघन था। प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने कहा%&

50- उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-3-2001 की अधिसूचना द्वारा जो किया है वह सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को चुनने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना है। एक पल के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता है कि लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का निर्धारण किसी भी तरह से अप्रासंगिक है या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी उम्मीदवार की योग्यता और उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन हमेशा परीक्षा में उसके प्रदर्शन के संदर्भ में किया

जाता है और किसी भी सेवा के लिए किसी भी उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का निर्णय करना एक सर्वमान्य मानदंड है, चाहे वह लोक सेवा आयोग आईएएस, आईएफएस, आदि हो या कोई अन्य। इसलिए, नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियां 26-3-2001 की अधिसूचना के नियम 10 में न्यूनतम पात्रता शर्त के निर्धारण को पूरी तरह से उचित ठहराती हैं। नियम 7 द्वारा परिकल्पित परीक्षा की अवधारणा ही उत्तीर्ण करने के लिए बेंचमार्क के रूप में न्यूनतम न्यूनतम के निर्धारण को उचित ठहराने वाली अवधारणा है। इसके अलावा, उम्मीदवार की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं आवश्यक हैं और यही कारण है कि उच्च न्यायालय जैसी उच्च&शक्ति वाली संस्था को अपनी प्रक्रिया विकसित करने की शक्ति प्रदान की जाती है क्योंकि यह इस मामले में सबसे अच्छा न्यायाधीश है। किसी भी अन्य प्राधिकारी के लिए उच्च न्यायालय को किसी भी सीमा के भीतर सीमित करना उचित नहीं होगा और इसलिए, प्रक्रिया का विकास उच्च न्यायालय पर ही छोड़ दिया गया है। जब एक उच्च&शक्ति प्राप्त संवैधानिक प्राधिकरण के पास ऐसी शक्ति बची हो और उसने ऐसी प्रक्रिया विकसित की हो जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हो, तो उसकी शक्तियों से परे जाकर उसे टालना उचित नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय के भारत संघ बनाम काली दास बातिश 2006 1 एससीसी 779, के फैसले का

संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कार्रवाई पर उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाने की मांग की गई थी और यह था अनुचित माना गया।

25- हेमनी मल्होत्रा आदि बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, 2008 7 एससीसी 11, के मामले में उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में अन्य बातों के अलावा, विशेष रूप से सामान्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में 55 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 50 अंक प्राप्त करने के मामले में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। लिखित परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए पत्र मिला। चूंकि परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था, इसलिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सफल उम्मीदवारों की कोई मेरिट सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी और इसलिए, याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि वे संख्या के बारे में विवरण जानने की स्थिति में नहीं थे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये। इस बीच, चयन समिति ने बैठक की और मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया और इसे पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया। रिट

याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा

15- इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन को विनियमित करने वाले नियम बनाने वाला प्राधिकारी नियमों द्वारा लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित कर सकता है, लेकिन यदि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित प्राधिकारी, चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद कोई अतिरिक्त आवश्यकता@अर्हता नहीं जोड़ी जा सकती कि उम्मीदवार को साक्षात्कार में न्यूनतम अंक भी प्राप्त करने चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी द्वारा मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित करना अवैध था।

16- प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि के मंजुश्री 2008, 3 एससीसी 512 में दिए गए निर्णय में अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य 1985, 4 एससीसी 417 के साथ&साथ मामले में दिए गए निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया। केएच सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय 2006, 6 एससीसी 395 और, इसलिए, इसे या तो प्रति निर्णय माना जाना चाहिए या पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी के विद्वान वकील

द्वारा लिए गए निर्णयों में जो बात कही गई है, वह यह है कि चयन को विनियमित करने वाले नियम बनाने वाले प्राधिकारी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने के लिए हमेशा खुले हैं। संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता का परिचय वैध था या नहीं, यह प्रश्न प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों में इस न्यायालय के विचार में कभी नहीं आया। के मंजुश्री के मामले का निर्णय करते समय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर ध्यान दिया 1 पीके रामचन्द्र अय्यर बनाम भारत संघ(1984 2 एससीसी 141, 2 उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ 1985, 3 एससीसी 721(और 3 दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य, 1987, 4 एससीसी 646 और उसके बाद कानून का प्रस्ताव रखा गया है जो ऊपर उद्धृत किया गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इस न्यायालय की राय है कि के मंजुश्री में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को न तो प्रति निर्णय माना जा सकता है और न ही मामले को संदर्भित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा अच्छा मामला बनाया गया है। उक्त निर्णय पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ।

26- इंद्र प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू&कश्मीर राज्य और अन्य 2004

6 एससीसी 786 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा

28- जम्मू और कश्मीर चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1979, माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 124 के तहत जारी किए गए थे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के बराबर है। उक्त नियम वैधानिक प्रकृति के हैं। लोक सेवा आयोग संविधान के तहत बनाई गई एक संस्था है। संविधान के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के उद्देश्य से संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के लोक सेवा आयोग का गठन करता है। किसी राज्य में सेवा के लिए नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और कार्यकारी कार्रवाई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए। संविधान की धारा 133 राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य राज्य पर लगाती है। धारा 133 के तहत सूचीबद्ध मामलों पर लोक सेवा आयोग से भी परामर्श करना आवश्यक है हालाँकि, चयन प्रक्रिया से गुजरते समय आयोग को क्षेत्र में लागू वैधानिक नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ उद्देश्यों के लिए, उदाहरण के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से, यह अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। हालाँकि, आयोग को वैधानिक नियमों के अनुरूप सख्ती से प्रक्रिया

निर्धारित करनी चाहिए। यह ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जो वैधानिक नियमों का उल्लंघन हो या उसे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय बना दे। यहां तक की शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से भी आयोग किसी भी प्रकार का कटऑफ अंक तय नहीं कर सकता है। पंजाब राज्य बनाम मंजीत सिंह देखें।2003 11 एससीसी 559

27- भारत संघ एवं अन्य के मामले में बनाम एस विनोद कुमार और अन्य, 2007 8 एससीसी 100, अपीलकर्ता रेलवे ने गैंगमैन के पद के लिए भर्ती करते समय सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग कटऑफ अंक तय किए निर्णय के पैरा 3।। हालाँकि, कुछ रिक्तियाँ अधूरी रह गईं क्योंकि रेलवे को कटऑफ अंकों के भीतर अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार नहीं मिल सके। सक्षम प्राधिकारी ने कटऑफ अंक कम न करने का एक विशिष्ट निर्णय लिया क्योंकि इसे उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता के लिए अनुकूल नहीं माना गया था। प्रश्न यह था कि क्या यह निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनमाना था कि कुछ रिक्तियाँ खाली रह गई थीं। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया

10 तथ्य यह है कि रेलवे प्रशासन ने सामान्य श्रेणी के साथ&साथ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से

कट&ऑफ अंक तय करने का इरादा किया था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग&अलग कट&ऑफ अंक तय किए गए थे। अभ्यर्थियों का इसलिए इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि तय किए गए कटऑफ अंक पूरी तरह से मनमाने थे ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। कटऑफ अंक तय करने की नियोक्ता की शक्ति को न तो नकारा गया है और न ही विवादित है। यदि कटऑफ अंक तर्कसंगत आधार पर तय किए गए थे, तो इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

11 एक बार जब यह माना जाता है कि अपीलकर्ताओं के पास कट&ऑफ अंक तय करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार है, तो इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि इसे कम करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। कट&ऑफ अंक निर्धारित करना नियोक्ता या विशेषज्ञ निकाय का काम है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय आम तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संबंध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है। निर्धारित कट&ऑफ अंक संबंधित पद के लिए

विषय के महत्व पर निर्भर करेगा। विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अलग&अलग कट&ऑफ अंक तय करने की अनुमति है।

28- इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी उम्मीदवार की योग्यता और उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन हमेशा परीक्षा में उसके प्रदर्शन के संदर्भ में किया जाता है। किसी उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से, आयोग को मौखिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने होते हैं। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मौखिक परीक्षा में अर्हक अंक तय करना उचित नहीं है, लेकिन लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किसी उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड तय करना आवश्यक है।

29- जैसा कि ऊपर देखा गया है, साक्षात्कार के प्रयोजन के लिए सभी विषयों में अर्हक अंक के रूप में निर्धारित 33 कट&ऑफ अंक को किसी भी तरह से अवैध या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है, केवल इसलिए कि न्यूनतम 33 अंक हासिल करने के लिए ऐसे मानदंड अधिसूचित किए गए थे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अरुणाचल

प्रदेश लोक सेवा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2001 का नियम 11 आयोग को साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता अंक तय करने का अधिकार देता है। हमारी सुविचारित राय में, भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में अर्हक अंक तय करने के लिए 2001 के नियम 11 के तहत आयोग द्वारा प्रयोग की गई शक्ति में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हम दोहराते हैं कि लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा कुछ मानदंड अपनाए जाने चाहिए। लिखित परीक्षा में अर्हता अंक 33 निर्धारित करने को केवल इसलिए आयोग की अवैध या मनमानी कार्रवाई नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में अधिसूचित किया गया था। अपीलकर्ता&आयोग की ओर से यह तर्क दिया गया कि आयोग ने पूर्व में 2001 के नियमों के नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कट&ऑफ अंक तय करते हुए लिखित परीक्षा आयोजित की है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि 30 सितंबर, 2008 के अपने आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, परिणाम 7 जनवरी, 2008 के ओएम में अधिसूचित योग्यता अंकों को लागू करते हुए घोषित किया गया था और उसी को आयोग द्वारा अपनाया गया

था।

30- यद्यपि यह वांछनीय है कि आयोग प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय करे, लेकिन वर्तमान मामले में योग्यता अंक सुरक्षित करने के लिए उम्मीदवारों की भर्ती में आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

31- इन सभी कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार मीना आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझााने के सीमत उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्यवन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।